न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–05/2022

अबुलैश.....वादी

बनाम

डा0 मजीद आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.11.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 23.09.2024 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की ओर से अपने आवेदन दिनांक 23.09.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–03 ता 05 अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में दिनांक 16.11.2022 को तथा प्रतिवादी सं0–06 दिनांक 17.12.2022 को उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0–04 प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की ओर से पैरवीकार है तथा प्रतिवादी सं0–03 वृद्ध व्यक्ति है तथा प्रतिवादी सं0–04 के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा होने एवं बेल लेने के कारण बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब हो गया। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को दाखिल करने में हुये विलंब को माफ कर बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा की जाय। वादी की ओर से प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 19.10.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन चलने योग्य नही है। प्रतिवादी सं0–03, 04 एवं 06 दिनांक 16.11.2022 को एवं प्रतिवादी सं0–05 17.12.2022 को न्यायालय में उपस्थित हुये है। प्रतिवादी द्वारा अपने आवेदन में फौजदारी मुकदमा का जिक्र किया गया है लेकिन मुकदमा का विवरण नहीं दिया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–03, 04 एवं 06 दिनांक 16.11.2022 को तथा प्रतिवादी सं0–05 दिनांक 17.12.2022 को	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–05/2022

अबुलैश.....वादी

बनाम

डा0 मजीद आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.11.2024	न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 03.06.2023 को प्रतिवादी सं0–03 ता 06 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया तथा दिनांक 23.09.2024 को प्रतिवादी सं0–03 ता 06 की ओर से बयान तहरीरी दाखिल किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–03 ता 06 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–03 ता 06 द्वारा नियत समय के बाद दिनांक 23.09.2024 को न्यायालय में आवेदन देकर बयान तहरीरी को स्वीकार करने का निवेदन किया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–03 ता 06 का आवेदन दिनांक 23.09.2024 मो0–3000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–03 ता 06 की ओर से दिये गये बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है तथा आवेदन दिनांक 03.06.2023 को वापस लिया जाता है। आगामी दिनांक 10.12.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	